(46)

संख्या–~~898~~/ II–2011–03(13)/2011
883

प्रेषक,

आर०सी० लोहनी,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई अनुभाग देहरादून : दिनांक 26 जुलाई, 2011

विषय : आकस्मिक बाढ़ सुरक्षा योजना के अन्तर्गत योजनाओं की स्वीकृति एवं धनावंटन–राज्य सैक्टर।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में आपके पत्र संख्या–133/मुअवि/बजट/बी–1, दिनांक 02.02.2011, पत्रांक–1089/मुअवि/बजट/बी–1 योजना, दि0–17.03.2011 व पत्रांक–1641/मुअवि/बजट/बी–1 सामान्य, दि0–12.05.2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सिंचाई विभाग के लिए वर्ष 2011–12 में आयोजनागत पक्ष के अनुदान संख्या–20 के अन्तर्गत राज्य सैक्टर में 14 सं0 नई आपातकालीन बाढ़ सुरक्षा योजनाओं, जिनका उल्लेख संलग्नक–1 में किया गया है, की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किए जाने एवं उक्त कार्यों हेतु ₹ 99.61 लाख (₹ निन्यानवे लाख इक्सठ हजार मात्र) चालू वित्तीय वर्ष में व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. सम्बन्धित धनराशि का व्यय केवल उन्हीं योजनाओं के अन्तर्गत किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति जारी की जा रही है तथा जिन योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त है व योजना निर्माणाधीन है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
2. यह भी देख लिया जाय कि विगत् वित्तीय वर्ष व इस वित्तीय वर्ष में दैवीय आपदा राहत निधि से अथवा अन्य विभागों के बजट से उक्त कार्यों हेतु यदि कोई धनराशि अवमुक्त की गई है तो उस स्थिति में उस योजना/कार्य हेतु उक्त अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार/सी0सी0एल0 से नहीं किया जायेगा और शासन को सूचित कर अवमुक्त की जा रही धनराशि संचित कर दी जायेगी। उक्त व्यवस्था एक योजना हेतु दोहरा आहरण होने के दृष्टिगत् की जा रही है और यदि फिर भी ऐसा होता है तो इसका समस्त दायित्व सुसंगत खण्ड के लिए सम्बन्धित अधिशासी/अधीक्षण अभियन्ता का ही माना जायेगा।
3. धनराशि का आहरण व व्यय वास्तविक आवश्यकता के अनुसार किस्तों में किया जायेगा।
4. धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृत एवं कार्यो के प्राक्कलन सक्षम अधिकारी से अवश्य स्वीकृत करा लिये जाय।
5. उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के सुसंगत प्राविधानों तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।
6. स्वीकृति धनराशि का खण्डवार विभाजन/फॉट मुख्य अभियन्ता एवं उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय तथा कार्यों के सम्बन्ध में यथोचित भूकम्प निरोधी तकनीकी का प्रयोग किया जाय।
7. जहाँ आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध मे आख्या प्राप्त कर ली जाय तथा कार्यों के सम्बन्ध में यथोचित भूकम्प निरोधी तकनीकी का प्रयोग किया जाय।
8. मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष के निस्तारण पर रखी जा रही धनराशि को आहरण एवं वितरण अधिकारियों को प्राविधान/परिव्यय, जो भी कम हो, की सीमा तक तत्काल अवमुक्त किया जाए जिससे क्षेत्रीय स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।

क्रमशः........2

9. मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा आहरण एवं वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशियों का विवरण बी0एम0-17 पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त मे नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार उत्तराखण्ड राज्य सरकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।
10. कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
11. विभागीय कार्य करने से पूर्व सिंचाई विभाग/लोक निर्माण विभाग की दरों पर आगणन गठित कर एवं तकनीकी अधिकारियों की संस्तुति के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
12. त्रैमासिक रूप से कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं व्यय विवरण शासन एवं केन्द्र पोषित योजनाओं में भारत सरकार को उपलब्ध करा दिया जायेगा और स्वीकृत की जा रही धनराशि का दि0 31 मार्च, 2012 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा।।
13. धनराशि आहरण सी0सी0एल0 हेतु निर्धारित नियमान्तर्गत ही किया जायेगा।
14. भविष्य में निर्माण कार्यों के प्रस्ताव करते समय बजट मैनुअल के प्रस्तर 211(डी)-4 में दिये गये प्राविधान की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।
15. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक की अनुदान सं0-20 के आयोजनागत मद के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4711-बाढ़ नियंत्रण पर पूंजीगत परिव्यय 01-बाढ़ नियंत्रण-103 सिविल निर्माण कार्य 03-अनापेक्षित आपातकालीन कार्य नदी में सुधार तथा कटाव-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
16. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-195/XXVII(2)/2011, दि0-22 जुलाई 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न : यथोक्त।

भवदीय,

(आर0सी0 लोहनी)
संयुक्त सचिव।

संख्या-883(1)/II-2011-03(13)/2011, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार उत्तराखण्ड।
2- निजी सचिव, मा0 सिंचाई मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ ।
3- निदेशक, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय ।
4- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून /टिहरी/उत्तरकाशी/रूद्रप्रयाग।
6- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7- वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
8- नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
11- गार्ड फाईल।

संलग्न : यथोक्त।

आज्ञा से,

(एस0एस0 टोलिया)
अनु सचिव।